

जाता है तथा चौखणा इस आश्रम की जमीनी की  
जाली है कि :-

आदेश

तब ग्राम माथीकावास पटवार हल्का भादवाड़ी  
तहसील छपड़ा जिला सीकर (राज.) असाधित  
कृषि भूमि ख. नं. 236, 237 एका 4.5500 हे.  
में मृतका जमना देवी पत्नी स्व. चन्द्रदास का नाम  
हजफ किया जाकर  $\frac{1}{3}$  हिस्सा का बगी,  $\frac{1}{3}$  हिस्सा  
का उत्तिवाडी सं. 1 एवं  $\frac{1}{3}$  हिस्सा का उत्तिवाडी सं.  
2 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता  
है तथा कृषि भूमि ख. नं. 215 ता 223 एका  
10.3100 हे. में उत्तिवाडी सं. 1 हिस्सा  $\frac{3}{32}$ , मृतका  
जमना देवी पत्नी स्व. चन्द्रदास हिस्सा  $\frac{1}{32}$ , उत्तिवाडी  
सं. 2 हिस्सा  $\frac{1}{32}$  एवं बगी हिस्सा  $\frac{1}{32}$  का  
नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर उक्त  
हिस्सा ( $\frac{1}{32} + \frac{3}{32} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} = \frac{6}{32}$ ) का उत्तिवाडी  
सं. 1 को खातेदार काशतकार घोषित किया  
जाता है तथा कृषि भूमि ख. नं. 204, 205, 207,  
208, 208/302, 209, 210, 225, 226 एका 3.3000  
हे. में मृतका जमना देवी पत्नी स्व. चन्द्रदास हिस्सा  
 $\frac{3}{32}$  एवं मृतका बन्नीदास पुत्र किशनदास हिस्सा  $\frac{3}{32}$   
का नाम हजफ किया जाकर उक्त हिस्सा  
( $\frac{3}{32} + \frac{3}{32} = \frac{6}{32}$ ) का उत्तिवाडी सं. 1 को  
खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।  
अतानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरांमद  
है। तदनुसार फर्ज डिक्री जारी है। फर्मासी

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

फैसल शमार होकर नम्बर ले काम हो तथा  
बाद तलमील दाखिल दफतर हो। निर्णय हुले  
न्यायालय में सुनाया गया।

12/05/2019  
(महीपाल सिंह) RAS  
सहायक उर  
(फास्ट ट्रेडिग) उला



\* पुत्र बन्नीदास जाति स्वामी निवासी ठाणी सुतराम तन  
 कालियावास हाल आवद माधौकावास तह. खण्डेला जिला सीकर  
 - वादी

बनाम

\* पुत्र बन्नीदास वत्त पुत्र चन्द्रदास

② मेवाराम पुत्र बन्नीदास

जमस्त जाति स्वामी निवासी ठाणी सुतराम तन कालियावास  
 हाल आवद माधौकावास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

③ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर ।

- उत्तिवादीगण

\* जाता हैं तथा कृषि भूमि ख. नं. 215 ता 223 लब्ध 10.3100 हे.  
 में उत्तिवादी सं. 1 हिस्सा 3/32, जन्म-मूला जमना देवी पत्नी स्व. चन्द्रदास  
 हिस्सा 1/32, उत्तिवादी सं. 2 हिस्सा 1/32 एवं वादी हिस्सा 1/32 का  
 नाम हजफ किया जाकर उत्तरे स्थान पर उत्त हिस्सा (1/32 + 3/32 + 1/32 +  
 1/32 = 6/32) का उत्तिवादी सं. 1 को उत्तरेदार कारतकार चौखित किया  
 जाता हैं तथा कृषि भूमि ख. नं. 204, 205, 207, 208, 208/302,  
 209, 210, 225, 226 लब्ध 3.3000 हे. में मृतका जमना देवी पत्नी  
 स्व. चन्द्रदास हिस्सा 3/32 एवं मृतका बन्नीदास पुत्र किशनदास  
 हिस्सा 3/32 का नाम हजफ किया जाकर उत्त हिस्सा (3/32 + 3/32 = 6/32)  
 का उत्तिवादी सं. 1 को उत्तरेदार कारतकार चौखित किया जाता  
 हैं। उक्तानुसार पजस्व रेकोर्ड में अमल दायमद हो।

18/04/2019  
 (महिपाल सिंह) RAS  
 सहायक कलेक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

